

**कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।**

संख्या: 1862/प्र0अ0/सि0वि0/कार्मिक-1/ई-5/स्था0-2025,

दिनांक: 10 जून, 2025

“कार्यालय ज्ञाप”

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/संस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ-4 में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	विवेक शर्मा / हरिद्वार	सिंचाई खंड, नरेन्द्रनगर (उपखंड-4)	प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग, देहरादून।	धारा 7 (घ) (3) एवं 3 (घ)	

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:-

- 1 सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उसका वेतन आहरित न करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- 2 स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 3 स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 4 स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा 24(1)(2)(3) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता

(क्रमशः 2)

पत्रांक: 1862/प्र0अ0/सिं0वि0/ई-5/स्था0-2025/तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा0 मंत्री के संज्ञानार्थ।
2. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)/(स्तर-2)/(सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, प्रथम तल, पंचायती राज निदेशालय, आई0टी0 पार्क के सामने, सहस्रधारा रोड, देहरादून
5. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,।
6. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
9. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई0टी0सैल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड बैबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु।
10. कट फाईल हेतु।



(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-1)
कृते प्रमुख अभियन्ता

**कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।**

संख्या: 1861 / प्र0अ0 / सि0वि0 / कार्मिक-1 / ई-5 / स्था0-2025,

दिनांक: 16 जून, 2025

"कार्यालय झाप"

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/संस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ-4 में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	आलोक कुमार/हरिद्वार	पी0एम0जी0 एस0वाई सिंचाई खंड-2 नई टिहरी	सिंचाई खंड, नरेन्द्रनगर (उपखंड-4)	धारा 17(1)(ख)(छः)	

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:-

- 1 सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उसका वेतन आहरित न करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- 2 स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 3 स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 4 स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा 24(1)(2)(3) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

17/6

10/6/2025
सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता

(क्रमशः 2)

पत्रांक: 1861 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / ई-5 / स्था0-2025 / तदिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा0 मंत्री के संज्ञानार्थ ।
2. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
3. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) / (स्तर-2) / (सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
4. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, प्रथम तल, पंचायती राज निदेशालय, आई0टी0 पार्क के सामने, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून
5. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, ।
6. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
7. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
9. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई0टी0सैल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड बैबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु ।
10. कट फाईल हेतु ।



(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-1)
कृते प्रमुख अभियन्ता